क्रमांक 34/23/81-6 जी0एस0-I

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, अम्बाला तथा हिसार मण्डल के आयुक्त, सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।

दिनांक चण्डीगढ़, 21 मई, 1981 ।

विषय :—चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लिपिकों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त करने के बारे में ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के हाशिये में अंकित परिपत्रों में निहित अनुदेशों की ओर दिलाऊं जिन द्वारा श्रेणी 4 तथा श्रेणी 3 के ऐसे पदों पर नियुक्त कर्मचारियों (जिन का वेतनमान लिपिकों के वेतनमान से कम है जैसा कि रैस्टोरर तथा गैस्टेटनर आप्रेटर आदि) को लिपिकों के पदों पर पदोन्नति बारे नीति निर्धारित की हुई है ।

2. जिस समय परिपत्र क्रमांक 3049-5जी0 एस0-1-73/14393, दिनांक 5-6-73 जारी किया गया था उस समय रैस्टोरर तथा गैस्टेटनर आपरेटर आदि जो श्रेणी 3 के पद हैं का वेतनमान (100-160) लिपिक के पद के वेतनमान (110-225) से कम था परन्तु 1-4-79 से ऐसे श्रेणी 3 के पदों का वेतनमान संशोधित हो कर लिपिक के पद के टाईम स्केल (400-660) के सामान हो गया है । इस कारण वर्तमान नीति के अनुसार रैस्टोरर, गैस्टेटनर आप्रेटर आदि श्रेणी -3 के कर्मचारियों के लिपिकों के पदों पर पदोन्नति के अवसर समाप्त हो गए हैं। इनको बनाये रखने के लिये सरकार ने उपर्युक्त परिपत्र दिनांक 5-6-73 में निहित अनुदेशों में दिनांक 1-4-79 से संशोधन करने का निर्णय लिया है कि यह अनुदेश श्रेणी-III के पदों पर नियुक्त उन कर्मचारियों के मामलों में भी लागू होंगे जिनका टाईम स्केल चाहे लिपिक के पद के

हाशिया

1. क्रमांक 1507-5जी: एस: I-73/87 24, दिनांक 30-3-1973।
2. क्रमांक 3049-5 जी: एस: I-73/14393, दिनांक 5-6-73 ।
3. क्रमांक 3077-5 जी: एस: -I-74/13841, दिनांक 13-6-74 ।

टाईम स्केल के बराबर हो क्यों न हो परन्तु उनके कर्त्तव्य और जिम्मेवारियां लिपिक के पद के कर्त्तव्य और जिम्मेवारियों से कम हों ।

आपसे अनुरोध है कि कृपया इन अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाए और विभागीय सेवा नियमों में वांछित संशोधन 1-4-79 से कर लिया जाए ।

4. कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय,

हस्ता/-

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है :-
वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रसासकीय सचिव, ।